(43)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1023-एक/2013 - विरूद्ध आदेश दिनांक 17-1-13 - पारित व्दारा - अपर आयुक्त,चम्बल संभाग, मुरैना - प्रकरण कमांक 118/2012-13 अपील

1- शिवनारायण पुत्र कुढेरी ब्राहमण
2- बनवारी लाल(मृतक) पुत्र कुढेरी ब्राहमण
वारिस
1- श्रीमती रजनीदेवी पत्नि बनवारी
2- हरीकृष्ण शर्मा
3- चर्तुभुज शर्मा
4- श्यामसुन्दर शर्मा तीनों पुत्र बनवारीलाल
3- बाबूलाल पुत्र कुढ़ेरी
ग्राम चोढ़ेरा तहसील कैलारस जिला मुरैना ---आवेदकगण

विरूद्ध

1-रामचरण (मृतक) पुत्र मोतीराम
वारिस
1- हरीप्रकाश 2- रामलखन
3- रामपदम 4- महेश
सभी पुत्रगण स्वर्गीय रामचरण
5- श्रीमती बादामी पत्नि हरीप्रकाश
6- मनोज 7- संजीव 8- टीटू
पुत्रगण स्व. हरीप्रकाश
2- राजेन्द्र पुत्र मोतीराम
3- रामदुलारे पुत्र कुढेरी ब्राहमण
निवासीगण ग्राम चौढ़ेरा तहसील कैलारस जिला मुरैना ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री आर.डी.शर्मा शर्मा)
(अनावेदक क-2 के वारिसान के अभि. श्री मुकेश वेलापुरकर)
(अनावेदक क-3 स्वयं उपस्थित)

आ दे श
(दिनांक 4-2- 2016 को पारित)

अपर आयुक्त,चम्बल संभाग, मुरैना द्धारा प्रकरण कमांक 118/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 17-1-13 के विरूद्ध यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि शिवनारायण आदि ने सहायक बंदोवस्त अधिकारी जौरा के प्रकरण क्रमांक 12/1997-98 में पारित आदेश दिनांक 19-8-99 के विरूद्ध बंदोवस्त अधिकारी मुरैना को अपील क्रमांक 47/98-99 प्रस्तुत की, क्योंकि भूमि सर्वे क्रमांक 363 एंव 358 का उन्होंने भूमिस्वामी होना बताया है तथा इन सर्वे नंबरों एंव आसपास के सर्वे नंबरों में रास्ता न होते हुये भी बंदोवस्त के दौरान रास्ता कायम कर दिया गया था। फलतः सहायक बंदोवस्त अधिकारी जौरा ने वरिष्ठ से पुनरावलोकन की अनुमति प्राप्त कर प्रकरण क्रमांक 12/1997-98 में पारित आदेश दिनांक 19-8-99 करके रास्ते के अंकन सुधार किया। इस आदेश के विरूद्ध बंदोवस्त अधिकारी मुरैना के यहाँ अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 47/1998-99 अपील में पारित आदेश दिनॉक 28-3-2000 से अपील अस्वीकार की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना के समक्ष दिनांक 15-1-2013 को अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त,चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 118/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 17-1-13 से अपील समय-वाह्‌य होने से निरस्त कर दी गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ विचाराधीन निगरानी में रास्ते के निराकरण का विवाद निहित नहीं है अपितु विवाद यह है कि अपर आयुक्त,चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 118/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 17-1-13 से अपील समय-वाह्‌य पाने के कारण निरस्त की है यह निर्णय उचित है अथवा नहीं। बंदोवस्त अधिकारी मुरैना के प्रकरण क्रमांक 47/1998-99 अपील में पारित आदेश दिनॉक 28-3-2000 के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना के समक्ष दिनांक 15-1-2013 को अर्थात 12 वर्ष 8 माह के विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है। जब सहायक बंदोवस्त अधिकारी के

आदेश दिनांक 19-8-98 का अवलोकन किया उसमें प्रकार निष्कर्ष अंकित है :-

(अतः सार्वजनिक हितों ओर भूमिस्वामी के हितों को ध्यान में रखकर यह उचित होगा कि पटवारी अभिलेखानुसार एंव नक्शा स्थिति नक्शे पर रखी जावे किन्तु आने जाने हेतु मेढ़ से स्थिति पूर्ववत् रहेगी। अतः मौसमी रास्ता रहेगा। पक्षकार को समक्ष में स्थिति बताई गई। पक्षकार सहमत। अतः एस.एल.आर. समक्ष में आवश्यक दुरूस्ति करायें)

आर्डरशीट के हासियें में पक्षकारों के हस्ताक्षर हैं। इस सहमति आदेश की अपील शिवनारायण, रामदुलारे, बनवारी, बाबूलाल ने बंदोवस्त अधिकारी को की है जो बंदोवस्त अधिकारी मुरैना के प0क्र047/98-99 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-3-00 से निरस्त हुई है एंव बंदोवस्त अधिकारी के समक्ष दोनों पक्षों के अभिभाषक उपस्थित रहे हैं तथा उन्होंने तर्क भी प्रस्तुत किये हैं। इसी आदेश के विरूद्ध 15-1-13 को शिवनारायण, रामदुलारे, बनवारी ने अपर आयुक्त के समक्ष 12 वर्ष 8 माह के विलम्ब से अपील प्रस्तुत की, तब यह नहीं माना जा सकता कि बंदोवस्त अधिकारी के आदेश दि0 28-3-2000 की जानकारी आवेदकगण को यथासमय नहीं हुई हो, जिसके कारण अपर आयुक्त ने 12 वर्ष 8 माह के विलम्ब से प्रस्तुत अपील को समयवाह्य मानकर निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है क्योंकि आवेदकगण व्दारा अत्याधिक समय व्यतीत कर देने के कारण दूसरे पक्षकार को प्रोद्भूत हुये अधिकारों से बंचित नहीं किया जा सकता।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती हैं एंव अपर आयुक्त,चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 118/2012-13 अपील में पारित आदेश दि0 17-1-13 विधिवत् पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
म0प्र0ग्वालियर